न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 12/2020

अपीलांट

1. मानाराम पुत्र गणेशाराम
2. वेलाराम पुत्र गणेशाराम
3. मफाराम पुत्र गणेशाराम जातियान तमाम कलबी निवासीगण डाडोकी तहसील रानीवाडा जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. लालसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपूत निवासी डाडोकी, तहसील रानीवाडा, जिला जालोर
2. तहसीलदार भूमिधारी सांचौर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

श्री निखिल दवे विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री चुन्नीलाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02

निर्णय

दिनांक 19/03/2020

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी रानीवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2012 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2019 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत दिनांक 04.05.2012 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्राम डाडोकी के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वर्तमान खसरा नंबर 28 रकबा 3.91 हैक्टर में आने जाने खसरा नंबर 23 के पश्चिमी माठ से लगते लगत परिशिष्ट–अ में दर्शित मार्क ए से बी रास्ते की मांग की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 33/2012 लालसिंह बनाम राणाराम दर्ज किया गया एवं उक्त प्रकरण को निर्णय दिनांक 08.04.2015 द्वारा रास्ते की वैकल्पिक सुविधा खसरा नंबर 23 मे से नहीं होना मानते हुए खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर हाजा न्यायालय द्वारा अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को पुन सुनवाई हेतु रिमांड किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण पुन दर्ज कर तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसके अन्तर्गत खसरा नंबर 26 में रास्ता चाहने का उल्लेख किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलांटगण को पक्षकार नहीं बनाया गया था एवं न ही अपीलांटगण की खातेदारी से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को पक्षकार बनाये जाने हेतु सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी दिनांक 05.08.2019 को प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलांटगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकार संयोजित करने का आदेश पारित किया गया एवं आगामी पेशी दिनांक 04.09.2019 नियत की गई। उसके पश्चात दिनांक 05.09.2019 को अपीलांट की तामिल मानकर अपीलांट की गैर मौजूदगी में जवाब का अवसर दिये बिना एकपक्षीय जैर अपील आदेश पारित किया है। पूर्व में प्रकरण रिमांड होने के पश्चात दिनांक 31.07.2019 को अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये जाने से पूर्व ही मौका रिपोर्ट मंगवाई गई तथा तहसीलदार द्वारा मौका देखने से पूर्व अपीलांटगण को कोई सूचना नहीं दी गई। पटवारी हल्का द्वारा जो मौका रिपोर्ट तैयार की गई एवं तहसीलदार द्वारा उसे दिनांक 17.07.2019 को हस्ताक्षरित किया गया है। उस रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका निरीक्षण की तिथी में हेरफेर किया गया है एवं दिनांक 22.02.2019 को काट कर दिनांक 04.06.2019 किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांटगण को नोटिस तामिल करवाये बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत दिनांक 04.05.2012 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्रम डाडोकी के वर्तमान खसरा नंबर 28 रकबा 3.91 हैक्टर में आने जाने खसरा नंबर 23 के पश्चिमी माठ से लगते लगत परिशिष्ट–अ में दर्शित मार्क ए से बी रास्ते की मांग की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 33/2012 लालसिंह बनाम राणाराम दर्ज किया गया एवं उक्त प्रकरण को निर्णय दिनांक 08.04.2015 द्वारा रास्ते की वैकल्पिक सुविधा खसरा नंबर 23 मे से नहीं होना मानते हुए खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर हाजा न्यायालय द्वारा अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को पुन सुनवाई हेतु रिमांड किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण पुन दर्ज कर तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसके अन्तर्गत खसरा नंबर 26 में रास्ता चाहने का उल्लेख किया गया, जिस पर खसरा नंबर 26 में से सबसे कम भूमि में से रास्ता खसरा नंबर 26 में से उपलब्ध होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को बतौर पक्षकार संयोजित किया गया था एवं उक्त पक्षकारान को सुनवाई का पूर्णतया अवसर दिया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि रेस्पोडेन्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत दिनांक 04.05.2012 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि ग्रम डाडोकी के वर्तमान खसरा नंबर 28 रकबा 3.91 हैक्टर में आने जाने खसरा नंबर 23 के पश्चिमी माठ से लगते लगत परिशिष्ट–अ में दर्शित मार्क ए से बी रास्ते की मांग की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 33/2012 लालसिंह बनाम राणाराम दर्ज किया गया एवं उक्त प्रकरण को निर्णय दिनांक 08.04.2015 द्वारा रास्ते की वैकल्पिक सुविधा खसरा नंबर 23 मे से नहीं होना मानते हुए खारिज कर दिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा हाजा न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर हाजा न्यायालय द्वारा अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को पुन सुनवाई हेतु रिमांड किया गया। हाजा न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण पुन दर्ज कर तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मंगवाई गई, जिसके अन्तर्गत खसरा नंबर 26 में रास्ता चाहने का उल्लेख किया गया, जिस पर खसरा नंबर 26 में से सबसे कम भूमि में से रास्ता खसरा नंबर 26 में से उपलब्ध होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने पूर्व में अपनी खातेदारी आराजी मे आने–जाने हेतु खसरा नंबर 23 से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत अपीलांटगण पक्षकार नहीं थे, किन्तु हाजा न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत अपील रिमांड किये जाने के पश्चात इसी प्रकरण में खसरा नंबर 26 से रास्ता प्रदान कराने का निवेदन किया, जबकि कानूनन पूर्व में खसरा नंबर 23 से मांगे गये रास्ते के प्रार्थना पत्र को विड्रो किये जाने के पश्चात पुन नये सिरे से अपीलांटगण को पक्षकार बनाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना था। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट पर अपीलांटगण के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे यह भी स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट अपीलांटगण की अनुपस्थिति में बनाई गई एवं इसके अतिरिक्त मौका रिपोर्ट भी अपीलांटगण को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व मंगवाई जा चुकी थी। उक्त समस्त तथ्यो से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण को बिना सुनवाई का पूर्णतया अवसर दिये एकतरफा मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील आदेश पारित किया है जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा उपखंड अधिकारी रानीवाडा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 33/2012 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2019 अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली